अमेरिका-भारत परमाणु ऊर्जा सहयोग से होंगे कई लाभ

राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 मार्च 2006 को एक ऐतिहासिक समझौता किया। इससे भारत का अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पूरा सहयोग हो सकेगा और भारत का नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायरे में आ जाएगा। भारत इससे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों से परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी ले सकेगा।

राष्ट्रपति बुश ने वादा किया है कि वह समझौते पर अमल के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अमेरिका के परमाणु ऊर्जा कानून-1954 में संशोधन के लिए कहेंगे। इस तरह के संशोधन के लिए अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत का समर्थन चाहिए। समझौते के पक्ष में राय बनाने के प्रयास में व्हाइट हाउस ने 8 मार्च को यह दस्तावेज जारी किया जिससे कि इस समझौते को लेकर कुछ भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

आलोचक: अमेरिका और भारत के परमाणु क्षेत्र में सहयोग के समझौते से दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ तेज होगी।

जवाब: यह ऐतिहासिक समझौता है जो भारत को परमाणु अप्रसार की मुख्य धारा में लाता है। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से परमाणु ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल कर अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा। अमेरिका का इरादा भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मदद देना नहीं है। भारत के अपने परमाणु कार्यक्रम एवं रिएक्टरों को नागरिक एवं सैन्य आधार पर अलग-अलग करने से अन्य देश ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के नागरिक परमाणु रिएक्टरों के साथ सहयोग कर पाएंगे। ये सभी परमाणु रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा दायरे में होंगे जिससे कि प्रौद्योगिकी और परमाणु सामग्री को भारत के सैन्य कार्यक्रमों के लिए न पहुंचाया जा सके। भारत के लोगों को ऊर्जा मुहैया कराने के लिए परमाणु रिएक्टरों के ज्यादा इस्तेमाल से क्षेत्रीय सुरक्षा या स्थायित्व कमजोर नहीं पड़ेगा।

आलोचक: क्या यह पहल भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में प्रभावी तौर पर स्वीकार नहीं करती?

जवाब: नहीं। अमेरिका ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के अनुसार ''परमाणु हथियार संपन्न देश वह है जिसने कोई परमाणु हथियार या अन्य परमाणु सामग्री को 1 जनवरी 1967 या उससे पहले बना लिया हो और विस्फोट किया हो।'' (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ने इस तारीख तक परमाणु सामग्री का विस्फोट किया था।) भारत इस परिभाषा को पूरा नहीं करता और अमेरिका का इस संधि में किसी संशोधन का इरादा नहीं है।

आलोचक: रिएक्टरों को अलग-अलग करने की योजना में भारत के 22 परमाणु रिएक्टरों में से सिर्फ 14 को सुरक्षा दायरे में लाया जाएगा और भारत के दो विकासात्मक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस दायरे से बाहर होंगे। इन रिएक्टरों से भारत और परमाणु हथियार बनाकर अपने मौजूदा जखीरे को काफी बढ़ा सकता है।

जवाब: भारत-अमेरिका समझौते के मुताबिक भारत में उन रिएक्टरों की संख्या बहुत कम रह जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा दायरे में नहीं होंगे। इनके साथ ही संबद्ध सुविधाएं भी सुरक्षा दायरे में आ जाएंगी। वर्तमान में भारत के सिर्फ चार परमाणु रिएक्टर सुरक्षा दायरे में हैं। नागरिक-सैन्य रिएक्टर अलग-अलग करने की योजना के तहत भारत ने अपने ज्यादातर मौजूदा और निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों को आईएईए की निगरानी में लाना मंजूर किया है और इन रिएक्टरों से जुड़ी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम (इनपुट और आउटपुट) सुविधाएं भी सुरक्षा दायरे में आ जाएंगी। इसके अलावा भारत ने भविष्य में सारे नागरिक ऊर्जा और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को सुरक्षा निगरानी में लाने की प्रतिबद्धता जताई है।

यह समझौता अमेरिकी सुरक्षा के लिहाज से अच्छा है क्योंकि यह भरत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार की मुख्य धारा में लाता

विकास तरुला

राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड (दाएं), राजनीतिक मामलों के अंडरसेक्रेटरी आर. निकोलस बर्न्स और विदेश सचिव श्याम शरण 21 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में एक बैठक में। पिछले साल भर में अमेरिका-भारत नागरिक परमाणु समझौते के लिए इस तरह की कई बैठकें हुईं।

है। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगीं- और इससे भारत की ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम होगी जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

आलोचक: क्या यह पहल दोहरे मानदंड तैयार नहीं करती और क्या इससे उत्तरी कोरिया और ईरान जैसे अड़ियल देश परमाणु हथियार कार्यक्रम जारी रखने को प्रोत्साहित नहीं होंगे?

जवाब: यह ठीक नहीं है कि उत्तरी कोरिया और ईरान के अड़ियल शासन की तुलना भारत से की जाए। ईरान और उत्तरी कोरिया के उलट भारत शांतिपूर्ण एवं जीवंत लोकतंत्र रहा है जिसका परमाणु अप्रसार का बढ़िया रिकॉर्ड है।

इस पहल के तहत भारत -जो कभी परमाणु अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं था- ऐसे कई कदम उठाने को राजी हुआ है जो उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार की मुख्य धारा में लाएंगे।

ईरान और उत्तरी कोरिया के मामले बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए और उसे स्वीकार किया। लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के पालन का सिर्फ दिखावा किया। अपने छिपे क्रियाकलापों से उन्होंने उस परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया जिसके पालन का दावा किया था। इसके अलावा दोनों देशों के शासन ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग कर लिया है और उनके शासक आतंकवाद के प्रायोजक बन गए हैं।

दूसरी ओर भारत ऐसे कदम उठाने पर सहमत हुआ है जो उसे परमाणु अप्रसार की मुख्य धारा में लाएंगे। इनमें ये कदम शामिल हैं:

- अपने नागरिक परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा दायरे और निगरानी में लाना।
- अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अमल जो आईएईए को ज्यादा गहन निरीक्षण की अनुमति देता है।
- यह सुनिश्चित करना कि उसकी परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी सुरक्षित है और उसे कहीं और नहीं पहुंचाया जा रहा है। इनमें हाल ही में पारित वह काननू भी शामिल है जिसमें स्पष्ट राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली बनाने की बात है।
- परमाणु संवर्द्धन एवं रिप्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी को उन देशों को न देना जिनके पास वह नहीं है और इसके प्रसार पर रोक के प्रयासों में मदद।
- विखंडनीय सामग्री के प्रसार पर रोक की संधि को अंजाम देना।
- परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध को जारी रखना।
- प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) और न्यूक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) के दिशा-निर्देशों का पालन।

आलोचक: इस पहल से विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार व्यवस्था कमजोर होगी। भारत के लिए अपवाद कायम करने से एनपीटी से बाहर रहने वाले देश पाकिस्तान और इस्राइल भी इसी तरह के समझौते के लिए दबाव बनाएंगे या इससे अन्य देश एनपीटी से अलग हो सकते हैं।

जवाब: भारत पिछले 30 साल से विश्वव्यापी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर रहा है। इस पहल से वह परमाणु अप्रसार की अंतर्राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा करने वाली व्यवस्था और मजबूत होगी।

एनपीटी पर दस्तखत करने वाले सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पूर्ण पहुंच की अनुमति है। लेकिन उन्हें परमाणु हथियार बनाने या रखने की मनाही है। (पांच स्वीकृत परमाणु हथियार संपन्न देश इसके अपवाद हैं।) अमेरिका नहीं चाहता कि कोई देश एनपीटी से बाहर आए। एनपीटी से बाहर जाने की कोई भी मुहिम इस बात का साफ संकेत होगा कि वह देश परमाणु हथियार बनाना चाहता है और इससे उस देश के लिए शांपिूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे।

पाकिस्तान और भारत अलग देश हैं। उनकी जरूरतें और इतिहास अलग हैं। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध अलग हैं जिसमें दोनों देशों में आतंक के खिलाफ युद्ध में सहयोग समेत करीबी रिश्ते और सहयोग की बात है। पाकिस्तान को प्रमुख गैर-नाटो देश का दर्जा दिया गया है। लेकिन परमाणु अप्रसार के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत जैसा नहीं रहा है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ इस तरह के परमाणु सहयोग समझौते का इरादा नहीं है। इस्राइल की स्थिति की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। इस्राइल ने खुद को परमाणु हथियारों वाला देश घोषित नहीं किया है। न ही उसकी ऊर्जा जरूरतें उतनी ज्यादा हैं। जहां तक मध्य-पूर्व के अन्य देशों की बात है, अमेरिका उम्मीद करता है कि एनपीटी में शामिल सभी पक्ष संधि के अपने उत्तरदायित्व का पालन करेंगे। □

अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य

आपसी सहयोग

ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिए

- भारत के परमाणु सुविधाओं के अलग-अलग करने की योजना पर सफल बातचीत का स्वागत। 18 जुलाई 2005 को नाभिकीय सहयोग पर जारी संयुक्त घोषणापत्र में उल्लिखित वचनबद्धताओं के पूर्ण कार्यान्वयन की आशा व्यक्त की गई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से दोनों देश असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भी यह सहयोग बढ़ेगा।
- आईटीईआर के रूप में संलयन (प्रायोगिक) ऊर्जा में भारत की भागीदारी का स्वागत किया गया जो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग के साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- फ्यूचरजेन में भारत की भागीदारी पर सहमति व्यक्त की गई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी भागीदारी प्रयास है। इसके तहत एक नई लगभग प्रदूषित गैसों से मुक्त और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए व्यावसायिक रूप से सफल प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। भारत इस परियोजना के लिए धन देता रहेगा तथा इससे संबंधित सरकारी संचालन समिति में भाग लेगा।
- स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया-प्रशांत भागीदारी का स्वागत किया गया जिससे इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भारत व अमेरिका सतत विकास का कार्य कर सकेंगे और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। इस भागीदारी में स्वच्छ व समुचित मूल्य की अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी तथा तौर-तरीकों के विकास, विस्तार तथा स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सागर अनुसंधान प्रयास के तहत एकीकृत सागर खनन कार्यक्रम में भारत की रूचि का स्वागत किया गया जिससे गैस हाइड्रेट जैसे ऊर्जा के दीर्घकालीन समाधान में मदद मिलेगी।
- भारत-अमेरिका ऊर्जा संवाद के तहत सकारात्मक सहयोग को ध्यान में रखकर ऊर्जा क्षमता तथा प्राकृतिक गैस जैसे विषयों पर संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन, फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली ऊर्जा के लिए अध्ययन दलों का गठन, कोल-बेड मीथेन व कोल-माइन मीथेन निकालने के लिए भारत में क्लियरिंग हाउस की स्थापना और ऊर्जा बाजार की सूचनाओं का आदान-प्रदान। □